मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल 2012 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 21 मार्च, 2012 (चैत्र 1, 1934)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेगें तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991) की धारा 17 की अपेक्षानुसार विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का 54 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 (दिनांक 1 जुलाई, 2010 से 30 जून, 2011 तक) पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य, होशंगाबाद जिले में सिंचाई हेतु पंप का प्रयोग किये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री सुनील जायसवाल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले में रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना की नहरों का कार्य पूर्ण न होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री रामलखन सिंह, सदस्य, सतना जिले में पूर्वा नहर हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा दिये जाने में अनियमितता होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य, शिवपुरी जिले के आदिम जाति कल्याण जिला अधिकारी द्वारा पद का दुरूपयोग किये जाने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री विश्वामित्र पाठक, सदस्य, नियम समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य, ग्वालियर जिले के –
- (क) कोटेश्वर मंदिर से घासमंडी होते हुए किला गेट तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (ख) बहोड़पुर सागर ताल रोड से शीलनगर के मार्ग का निर्माण कराये जाने,
- (ग) झलकारी बाई कन्या महाविद्यालय से प्रिया कॉन्वेंट स्कूल शिव बिहार तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (घ) रामेश्वरी नगर की सड़क निर्माण कराये जाने,
- (ङ) न्यू कालोनी नं. 3 ए नेहरू नगर के चामुण्डा देवी मंदिर से बीमा औषधालय तक मार्ग निर्माण कराये जाने,
- (च) वार्ड क्र. 8 में मां वैष्णोपुरम में सी.सी. रोड निर्माण कराये जाने, तथा
- (छ) वार्ड क्र.15 के कोयले वाले खेत में सड़क निर्माण कराये जाने,

(2) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के –
- (क) ग्राम हरपुरा लघु सिंचाई योजना की स्वीकृति कराये जाने,
- (ख) ग्राम दिगबार में हाई स्कूल खोले जाने,
- (ग) ग्राम मऊ बुजुर्ग एवं बहोड़ा के मध्य बेउनीबऊ तालाब पर सिद्ध बाबा का मंदिर निर्माण कराये जाने, तथा
- (घ) ग्राम रामगढ़ में दिगौड़ियन सरकार तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(3) श्रीमती गीता रामजीलाल उईके, सदस्य, बैतूल जिले के –
- (क) ग्राम चिचौली के काला पत्थर से कोगरिया तक सड़क मार्ग निर्माण कराये जाने,
- (ख) ग्राम शाहपुर में माचना नदी पर घाट निर्माण कराये जाने, तथा
- (ग) ग्राम रानीपुर में नवीन हायर सेकेण्डरी स्कूल स्वीकृत कराये जाने,

(4) श्रीमती रेखा, सदस्य, छतरपुर जिले के –
- (क) ग्राम सड़वा में पुलिस चौकी खोले जाने,
- (ख) ग्राम वकस्वाहा में कन्या हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने,
- (ग) बड़ामलहरा महाविद्यालय में स्टाफ की पद पूर्ति कराये जाने, तथा
- (घ) ग्राम बिनेदा पहुंच मार्ग मुख्यमंत्री सड़क योजना में जोड़े जाने,

(5) श्री विजेन्द्र सिंह मलाहेड़ा (बिज्जु बना), सदस्य, नीमच जिले के –
- (क) ग्राम पंचायत टामोरी में हैण्ड पंप खनन कराये जाने,
- (ख) ग्राम कंजार्डा से कुण्डालिया तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (ग) ग्राम हासपुर में तालाब निर्माण कराये जाने, तथा
- (घ) मनासा विकास खण्ड में जनपद पंचायत भवन निर्माण कराये जाने,

(6) श्री राजकुमार उरमलिया, सदस्य, रीवा जिले के –
(क) ग्राम अतरैला, जवा, मनिगवां में नवीन कन्या हाई स्कूल खोले जाने ,
(ख) ग्राम डभौर अकेला, हरदोकी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
(ग) ग्राम गहिलवार, कोटवा, चौखंडी के हाई स्कूलों का उन्नयन कराये जाने,
(घ) ग्राम दुअरा से छपैनी तक मार्ग निर्माण कराये जाने, तथा
(ङ) ग्राम छपैनी, लोनी, खोहा, गंज की प्राथमिक शालाओं का उन्नयन कराये जाने,

(7) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य, शिवपुरी जिले के –
(क) ग्राम निहावरा से दोनी तक सड़क निर्माण कराये जाने,
(ख) ग्राम टीला से दबरा, करेरा मार्ग निर्माण कराये जाने,
(ग) ग्राम जैरावण से मजरा नया खेरे तक सड़क निर्माण कराये जाने,
(घ) ग्राम करौठा से धामना तक सड़क निर्माण कराये जाने, तथा
(ङ) ग्राम छिन्तीपुर से कुर्गेल तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(8) श्री विश्वास सारंग, सदस्य, भोपाल शहर के बरखेड़ा पठानी से लहारपुर-कटारा हिल्स मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री नागेन्द्र सिंह, लोक निर्माण मंत्री, मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि विधेयक, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2012) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्रीमती अर्चना चिटनीस, स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश जन शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 6 सन् 2012) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगी तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगी.

(3) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 7 सन् 2012) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(4) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री,राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 8 सन् 2012) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(5) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री ऊर्जा, मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क विधेयक, 2012 (क्रमांक 9 सन् 2012) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

7. वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

निर्धारित समय			
1 घण्टा 30 मि.	(1)	मांग संख्या – 27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)
		मांग संख्या – 77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)
2 घन्टे	(2)	मांग संख्या –3	पुलिस
		मांग संख्या – 4	गृह विभाग से संबंधित व्यय
1 घन्टा 30 मि.	(3)	मांग संख्या – 63	अल्प संख्यक कल्याण
		मांग संख्या – 66	पिछड़ा वर्ग कल्याण
		मांग संख्या – 76	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा
1 घण्टा 30 मि.	(4)	मांग संख्या – 24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल
		मांग संख्या – 42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल
		मांग संख्या – 67	लोक निर्माण कार्य-भवन
1 घन्टा (वित्त को छोड़कर)	(5)	मांग संख्या – 6	वित्त
		मांग संख्या – 7	वाणिज्यिक कर
		मांग संख्या – 31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी
		मांग संख्या – 60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय
		मांग संख्या – 61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय
1 घन्टा	(6)	मांग संख्या – 39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण
30 मि.	(7)	मांग संख्या – 18	श्रम
1 घन्टा	(8)	मांग संख्या – 55	महिला एवं बाल विकास

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 20 मार्च, 2012